विचार बिन्दु

मानव नक़ल करने वाला प्राणी है और जो सबसे आगे रहता है वो नेतृत्व करता है। –शिलर

अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण –उचित या अनुचित?

उच्चतम न्यायालय की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने एक महत्वपूर्ण विषय पर हाल ही में सुनवाई पूरी की है। यह प्रकरण संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में अनुसूचित/जनजातियों की सूची को आरक्षण के लिए विभाजित करने से संबंधित है। क्या आरक्षण हेतु किसी प्रकार का उपवर्गीकरण किया जा सकता है या नहीं?

इसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार है। पंजाब सरकार ने 1975 में एक आदेश के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों में से वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण कर दिया। यह आरक्षण 31 सालों तक चलता रहा। 2004 में आंध्र प्रदेश के ई.वी. चेन्नईया वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने उप वर्गीकृत करने के निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसी आधार पर पंजाब उच्च न्यायालय ने भी 2010 में पंजाब सरकार के निर्णय को भी निरस्त कर दिया। पंजाब सरकार ने 2010 में दूसरा आदेश जारी करते हुए पुनः अनुसूचित जाति का विभाजन करते हुए एक आदेश जारी किया। इसे भी पंजाब उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया। इसके विरुद्ध पंजाब सरकार उच्चतम न्यायालय में गई। इसकी सुनवाई सात सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा की गई। पंजाब सरकार का मुख्य तर्क है कि आरक्षण देने का अधिकार राज्य सरकारों को अनुच्छेद 15 और 16 में दिया गया है। जब शैक्षिक और सामाजिक रूप से वर्गों के लिए वर्गीकृत करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है।

पुनरीक्षण की संभावना पर माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा विचार किया जा रहा है। यदि इसका निर्णय उप वर्गीकरण के पक्ष में होता है तो यह ऐतिहासिक बदलाव होगा जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। इससे अनुसूचित जाति और जनजाति का पूरा आरक्षण कुछ ही विशेष जातियों तक सीमित होकर नहीं रह जाएगा। उदाहरणार्थ, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण का अधिकांश लाभ, राजस्थान के कुछ जिलों में निवास करने वाले एक ही जनजाति के लोगों द्वारा लिया जाता है। राजस्थान के अन्य भागों में रहने वाली अन्य जनजातियां एवं पूर्वोत्तर भारत की बहुत सी जनजातियां इनका लाभ लेने से वंचित ही रही हैं। बारां जिले के सहरिया, सिरोही जिले के गरासिया या डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों के भील–मीणा में से शायद ही कोई व्यक्ति किसी अखिल भारतीय सेवा में सीधे चयनित हुआ होगा। इसके विपरीत उत्तर पूर्वी जिलों के निवासी एक ही जाति के अत्याधिक सदस्य, विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष चयनित होते रहे हैं। कई परिवारों में तो अनेक सदस्य आई ए ए स / आई पी ए स बनने में सफल हुए हैं। आज बड़ी संख्या में ये लोग राजस्थान ही नहीं, भारत के अनेक जिलों में उच्च प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के पदों पर पद स्थापित हैं।

भेदभाव, छुआछूत और पिछड़े पन के कारण कई जातियों को राज्यवार चिन्हित किया गया और उन्हें अनुसूचित जाति/जाति के नाम से जाना गया। इनका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में किया गया। इनके लिए संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस आरक्षण के बावजूद आरक्षित वर्ग की कुछ जातियां 75 वर्ष बाद भी आरक्षण का नगण्य लाभ ले पाई हैं जबकि कुछ अन्य जातियां आरक्षण का पूरा लाभ लेने में सफल रही हैं। ऐसी ही स्थिति अनुसूचित जन जातियों के संबंध में भी है जहां अनेक जनजातियों में से कुछ ने ही आरक्षण का अधिकांश लाभ लिया है। न केवल नौकरियों में अपितु राजनीति में भी कुछ जातियों का अधिक प्रभाव हो गया है।

विषय संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे समझना आवश्यक है । माननीय सर्वोच्च इसकी सुनवाई हो रही है । इसमें अन्य कई संगठन और व्यक्ति भी शामिल हो गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में पूरी दोनों पक्षों की पूरी बहस सुन ली है और अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। संभावना है कि शीघ्र ही इस बारे में निर्णय सुनाया जाएगा।

कुछ बिंदुओं का विश्लेषण पाठकों के लिए करना आवश्यक है ताकि वह विषय को भली–भांति समझ सकें। उप वर्गीकरण का विरोध करने वाले पक्ष का मुख्य तर्क यह था कि संविधान सभा ने पूरे विचार विमर्श और गहरे अध्ययन के पश्चात ही सामाजिक भेदभाव और पिछड़ेपन के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए अनुसूचित जातियों की लिस्ट बनाई और उन्हें एक वर्ग 'अनुसूचित जाति' कहा गया। इसी प्रकार जनजातियों की भी पूरी सूची बनाई गई और उसे नाम दिया गया 'अनुसूचित जनजाति' का। संबंधित वकीलों का कहना था कि जब सारी जातियों को एक ही वर्ग अर्थात अनु सूचित जाति के रूप में संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार बना लिया गया है तो उन सभी के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार संविधान के अंतर्गत हो सकता है। इनमें से कुछ को अलग से आरक्षण देना संविधान की अवहेलना होगा। उनके अनुसार अनुसूचित जाति का एक नया वर्ग बना दिया गया है जिसको उप विभाजित करने का कोई अधिकार राज्य स्तर पर नहीं दिया जा सकता है। यही सिद्धांत अनुसूचित जनजाति पर भी लागू होगा। इसके लिए पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। राज्य सरकारों से विचार विमर्श के बाद ही प्रस्ताव भारत सरकार के पास आएगा और भारत सरकार उसका विश्लेषण करने के बाद संसद द्वारा अनुसूची में किसी जाति को जोड़ा या हटाया जा सकेगा। वह लागू तब होगी जब राष्ट्रपति उसका अनुमोदन कर दें।

बहस के दौरान न्यायमूर्ति पी जी गवाई ने बहुत तीखे प्रश्न पूछे कि सभी अनुसूचित जातियां एक समान नहीं हैं और इनमें से कुछ जातियां आपस में भी छुआछूत अपनाती हैं। कुछ जातियां तो ऐसी हैं जिन्हें पिछले 75 वर्षों में आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है। अतः आरक्षण हेतु यदि कोई विशेष लाभ उनको नहीं दिया गया तो फिर आने वाले लंबे समय तक बराबरी सम्भव नहीं होगी।

बहस के दौरान न्यायमूर्ति पी जी गवाई ने बहुत तीखे प्रश्न पूछे कि सभी अनुसूचित जातियां एक समान नहीं हैं और इनमें से कुछ जातियां आपस में भी छुआछूत अपनाती हैं। कुछ जातियां तो ऐसी हैं जिन्हें पिछले 75 वर्षों में आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है। अतः आरक्षण हेतु यदि कोई विशेष लाभ उनको नहीं दिया गया तो फिर आने वाले लंबे समय तक बराबरी सम्भव नहीं होगी। अनुसूचित जातियों में भी इतना भेदभाव हो जाएगा कि कुछ जातियां इसका लाभ लेने से पूरी तरह वंचित रहेंगी । उन्होंने उदाहरण देते हुए पूछा कि यदि कुछ अनुसूचित जातियों के व्यक्ति आई ए एस में आ गए हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? यह भी कहा कि कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्होंने 75 वर्षों में भरपूर लगभग पूरा लाभ इस आरक्षण का उठाया है । अतः यदि बराबरी लानी है तो क्यों न कुछ जातियों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण में से कर दी जाए?

उप वर्गीकरण का समर्थन करने वाले पक्ष का यह भी तर्क था कि जब अन्य पिछड़ा वर्ग में आर्थिक आधार पर 'क्रीमी लेयर' मानकर उनको को आरक्षण से वंचित किया जा सकता है तो फिर पिछड़ेपन के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति में कुछ जातियों को इसका विशेष लाभ अधिक क्यों नहीं दिया जा सकता? माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों ने बहस के दौरान यह जानना चाहा कि यदि कुछ जातियों को आरक्षण के अंदर आरक्षण दे दिया जाता है तो क्या इससे बराबरी का लक्ष्य अधिक सुगमता से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा? इस हेतु आधार निर्धारित करने का काम राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। वैसे भी राज्य सरकारों को अधिकार है कि आरक्षण के संबंध में निर्णय ले सके। यदि अनुसूचित जाति में से किसी को विशेष आरक्षण दिया जाता है तो यह संविधान की पूरी संरचना के विपरीत किस प्रकार माना जाएगा? पंजाब सरकार के वकील ने भी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों में में से मजहबी और वाल्मीकि जातियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण करने को सही बताते हुए उसकी पैरवी की और यह बताता कि कैसे अब तक इन दो जातियों के लोग अन्य सभी अनुसूचित जातियों से कहीं अधिक पिछड़े हुए हैं और कहीं अधिक भेदभाव का शिकार हैं। पंजाब सरकार के वकील ने पुरजोर तरीके से यह तर्क दिया कि बराबरी स्थापित करने के ही सिद्धांत पर अनुसूचित जातियों में से कुछ जातियां जो विशेष रूप से भेदभाव का लगातार शिकार रही हैं, उन्हें विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है ।

एक और जहां अत्यधिक भेदभाव और पिछड़ेपन के कारण अनुसूचित जातियों में से कुछ को विशेष आरक्षण देने की आवश्यकता है, वहीं उप वर्गीकरण करने के कुछ खतरे भी हैं। यदि कुछ जातियों को कम प्रतिनिधित्व के कारण और अत्यधिक वंचित होने के कारण आरक्षण में से विशेष आरक्षण के लिए उप वर्गीकृत कर दिया तो फिर धीरे–धीरे अन्य अनुसूचित जातियां भी जो अपेक्षाकृत कम लाभ आरक्षण का ले पाई हैं, वे भी इसी प्रकार का आंदोलन करेंगे और तब राज्य सरकार के लिए उनको इंकार करना कठिन होगा। वैसे भी, अनुसूचित जाति में आने वाली सभी जातियां बराबरी की स्थिति में कभी नहीं होंगी एवं यही स्थिति कमोबेश अनुसूचित जनजातियों में भी होगी।

इस सिलसिले का अंत किस प्रकार होगा, यह कहना कठिन है। एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब प्रत्येक जाति अपनी संख्या के आधार पर राजकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अथवा आरक्षण की मांग करने लगेगी। ऐसा करना सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा। एक विकल्प यह हो सकता है कि अनुसूचित जातियों में से जिन जातियां का, सालों तक आरक्षण का अधिक लाभ लेने के कारण, प्रतिनिधित्व एक स्तर से ऊपर पहुंच जाए, उन्हें अनुसूची से हटा दिया जाए अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह ही अनु सूचित जाति और जनजाति में भी क्रीमी लेयर की अवधारणा को लाया जाए। ऐसा करने से अनुसूचित जाति और जनजातियों की वर्तमान सूची में से सबको आरक्षण मिलने के बावजूद भी वे लोग इसका लाभ लेने के पात्र नहीं रहेंगे जो एक विशेष सामाजिक एवं आर्थिक स्तर से ऊपर निकल जाएं। इससे आरक्षण का लाभ इन्हीं वर्गों के अधिकाधिक निर्धन परिवारो तक पहुंचेगा और इन वर्गों में बराबरी लाने की दिशा में कुछ कदम बढ़ाए जा सकेंगे।

अब सब की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर टिकी हैं। जो भी उच्चतम न्यायालय का निर्णय होगा,वह भविष्य की दिशा निर्धारित करेगा और उसके द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर जो कदम उठाए जाएंगे उनसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति में बहुत पीछे रह गई जातियों को बराबरी पर आने का मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। बहस के दौरान माननीय न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणियों से तो ऐसा लगता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति में उल्लेखित जातियों में से कुछ विशेष जातियों के लिए निर्धारित आरक्षण में ही आरक्षण कर दिया कर दिया जाएगा। इस प्रकार उप वर्गीकृत सूचियों को संभवतया मान्यता मिल जाएगी। सबको सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

ऋतुओं के राजा बसंत का पर्व बसंत पंचमी

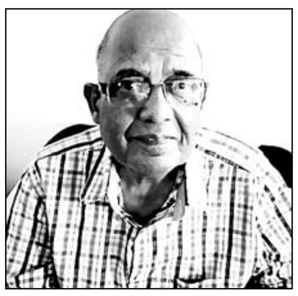

डॉ. जे.के. गर्ग

ऋतुओं के राजा बसंत का पर्व बसंत पंचमी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बसंत पंचमी को ही विद्या एवं बुद्धि की देवी माता सरस्वती का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसारऋतुराज बसंत के साथ धरती पर कामदेव और उनकी पत्नी देवी रति आते हैं और सभी में प्रेम और काम भावना जागृत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन कामदेव और देवी रति की पूजा करने से पति–पत्नी के प्यार में वृद्धि होती है और दोनों का रिश्ता मजबूत होता है। मान्यताओं के अनुसार कामदेव प्राणियों के अंदर प्रेम भावना जागृत करते हैं वहीं देवी रति श्रृंगार करने की इच्छा को बढ़ाती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक, कामदेव के धनुष से निकला बाण सीधा दिल पर लगता है। इस बाण के लगने से दिल प्रेम की भावनासे भर जाता है। इसीलिये बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के साथ–साथ भगवान श्रीहरि विष्णु, कामदेव और रति का पूजन भी होता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करके उनसे जीवन में विद्या, बुद्धि, कलाएवं ज्ञान प्राप्त का वरदान मांगा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सृष्टि के रचियता ब्रह्मा जी ने जीवो और मनुष्यों की रचना भी इसी दी को की थी ।

ब्रह्माजी सृष्टि की रचना करके जब उसे देखने लगे तो उन्हें प्रथ्वी पर चारों तरफ सुनसान निर्जन वातावरण दिखाई दिया जिससे प्रजापति खिन्न और उदास हो गये । ब्रह्माजी ने भगवान विष्णु जी की आज्ञा अनुसार अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिडका, धरती पर गिरने वाले जल से वहां हर जगह पर कंपन होने लगता है और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी स्त्री प्रकट हुयी, उस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी, बाकी अन्य हाथों में पुस्तक और माला थी । ब्रह्माजी ने उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया, देवी के वीणा बजाने के साथ ही संसार के सभी जीव–जंतुओ को वाणी प्राप्त को गयी। उसी क्षण ब्रम्हाजी ने उस स्त्री को सरस्वती कहा और सरस्वती को मधुर वाणी के साथ–साथ विद्या और बुद्धि भी प्रदान की। भगवान राम भी वसंत पंचमी के दिन शबरी के आश्रम पर आये एवं शबरी के झूटे बैर भी राम ने प्रेम पूर्वक खाये थे ।

किंवदंतीयो के मुताबिक सूफी संत चिश्ती निजामुद्दीन औलिया अपने जवान भतीजे की मृत्यु से अत्यंत दुखी हो गये थे। मशहूर शायर अमीर खुसरो ने वसंत पंचमी के दिन कुछ औरतों को पीले कपडे पहन कर पीले फूल ले जाते देखा तो खुद भी पीले कपडे पहन कर पीले फूल लेकर चिश्ती साहब के पास पहुँचे। उन्हें देख कर चिश्ती साहब के चेहरे पर हँसी आ गयी। तभी से दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और चिश्ती समूह की अन्य सभी दरगाहों पर वसंत उत्सव को मनाया जाने लगा। वैज्ञानिक और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बसंत ऋतु शरद ऋतु के ठंड से शीतल हुई पृथ्वी की अग्नि ज्वाला, मनुष्य के अंतःकरण की अग्नि एवं सूर्य देव के अग्नि के संतुलन का यह काल होता है। बसंतऋतु ही वो समय है जहां प्रकृति पुरे दो महीने तक वातावरण को प्राकृतिक रूप से वातानुकूलित बनाकर संपूर्ण प्राणियों को स्वस्थ जीने का मार्ग प्रदान करती है। साहित्यकारों के लिए वसंत प्रकृति के सौन्दर्य और प्रणय के भावों की अभिव्यक्ति का अवसर है तो वीरों के लिए शौर्य के उत्कर्ष की प्रेरणा है।

मां शारदा का प्राचीनतम मंदिर पकिस्तान अधिकृ तकश्मीर में मुज़्ज़फ़राबाद के निकट पवित्र कृष्ण–गंगा नदी के तट पर स्थित है। पौराणिकमान्यता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मंदिर का निर्माण कर मां शारदा को वहां स्थापित किया था इसीलिए उस मंदिर को ही मां शारदा का प्राकट्य स्थल माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी शारदा पीठ में मां शारदा के दर्शन किए थे। पंजाब और हरियाणा में बसंत पंचमी के दिन है। लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान से आशीर्वाद लेने के लिये गुरुद्वारे या मंदिर जाते हैं । बड़े और बच्चे सभी पतंग उड़ाते हैं । लोक गीत गाते और नाच गाना करके आनन्द मनाते हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में देवी सरस्वती की पूजा की जाती तथा पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता हैं । राजस्थान में लोग चमेली की माला पहनते हैं। उत्तर प्रदेश में कई भक्त बसंत पंचमी पर भगवान कृष्ण की पूजा करते हुए केसर चावल चढ़ाते हैं। इस दिन पीले गेंदे से घर और प्रवेश द्वार सजाए जाते हैं । पश्चिम बंगाल के कई शहरों और बिहार में देवी सरस्वती की मनमोहक आकर्षक मूर्ति बनाकर विशाल पंडाल बना कर देवी मां की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। देवी मां को मीठे पीले चावल और बूंदी के लड्डू चढ़ाते हैं। उत्तराखंड के लोग फूल, पत्ते और पलाश की लकड़ी चढ़ाकर देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, माथे पर पीले रंग का तिलक लगाते हैं और पीले रुमाल का इस्तेमाल करते हैं । पतंग उड़ाते हैं और केसर हलवा खाते हैं । गोकुल और वृंदावन में भी बसंत उत्सव धूमधाम और नाच गाने के साथ मनाया जाता है। ब्रज भूमी में बसंत पंचमी को रास नृत्य हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण ने बसंत पंचमी को ही रास किया था । सनातनधर्मी लोगों के लिये बसंत पंचमी महत्वपूर्ण पर्व है। अन्नदाता किसानों के लिये भी यह एक प्रमुख पर्व है । सनातनधर्मी इस पर्व को संगीत, ज्ञान, कला, विद्या, वाणी और ज्ञान की देवी सरस्वती के समर्पण के दिन के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बसंत पंचमी के दिनों में सरसों के खेत लहलहा उठते हैं इसीलिए लोग इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। सम्पूर्ण भारत में माघ शुक्ल पंचमी को वसंतपंचमी उत्सव मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन से ही वसंत ऋतु प्रारंभ होती है । इसे श्रीपंचमी, ऋषि पंचमी, मदनोत्सव, वागीश्वरीजयंती और सरस्वती पूजा का उत्सव भी कहा जाता है। वसंत पंचमी के दिन ही होलिका दहन स्थान का पूजन किया जाता है और होली में जलाने के लिए लकडी और गोबर के कंडे आदि एकत्र करना शुरू कर देते हैं। इस दिन से होली तक 40 दिन फागगायन यानी होली के गीत गाए जाते हैं। प्रकृति की अनुकम्पा से हमारे भारत में ही नियमित रूप से छः ऋतुएँ हैं। योगीराज कृष्ण ने कहा था–'मैं ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ, मुझे वसंत ऋतु सबसे अधिक प्रिय है । इसीलिए इन छः ऋतुओं में वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इसे ऋतुराज या मधुमास भी कहते हैं। वसंतपंचमी प्रकृति के अद्भुत सौन्दर्य, श्रृंगार और संगीत की मनमोहक ऋतुराज के आगमन की सन्देश वाहक है। वसंत पंचमी के दिन से शरद ऋतु की विदाई के साथ पेड़–पौधों और प्राणियों में नवजीवन का संचार होने लगता है। प्रकृति भी नवयौवना की भांति श्रृंगार करके इठलाने लगती है। पेड़ों पर नई कोपलें, रंग–बिरंगे फूलों से भरी क्यारियों से निकलती भीनी सुगंध, पक्षियों के कलरव और पुष्पों पर भंवरों की गुंजार से वातावरण में मादकता छाने लगती है। कोयल कूक–कूक के बावरी होने लगती हैं। बसंत का वर्णन मेरी स्वजन कविता अग्रवाल ने इस प्रकार किया है :– **उर्वी ने किया अनुपम श्रृंगार फैली हरीतिमा दिग दिगंत। पुष्पों से सजे तोरण द्वार कोयलिया गाए राग मल्हार। शिशिर का अब हुआ अंत देखो आए ऋतुराज बसंत। ओढ़ चुनरिया पीली पीली महक रही वो भीनी भीनी । खुशियाँ छाई चहुँ ओर अनंत देखो आए ऋतुराज बसंत। बसंत के अंदर श्रृंगार अपने यौवन पर पहुंच जाता है। इस वर्ष बसंत पंचमी का पर्व भारत में और संसार में जहां जहां सनातन धर्मी रहते हैं वहां 14 फरवरी 2024 को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा ।**

डॉ. जे. के. गर्ग,
पूर्व संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा जयपुर।

सांभर में ए.डी.एम. कोर्ट खुलवाने के लिये चालीस साल से प्रयासरत है बार एसोसिएशन

वर्ष 1982 में कैम्प कोर्ट के आदेश जारी हुये थे, लेकिन कई सालों से यह भी ठप

सांभरझील, (निसं)। सांभर उपखण्ड मुख्यालय पर अपर जिला कलेक्टर का कार्यालय खुलवाये जाने के लिये बार एसोसिएशन गत 40 साल से अकेले लगातार संघर्षरत है लेकिन सरकार पर राजनीतिक दबाव नहीं होने के कारण उनकी वाजिब मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। वहीं दूदू ग्राम पंचायत जिसको निवर्तमान गहलोत सरकार जिला घोषित कर चुकी है से पहले ही एडीएम की सौगात देकर सांभर के साथ एक प्रकार से सौतेला ही व्यवहार किया है।

जानकारी अनुसार सांभर उपखण्ड के अधीन ही पहले दूदू, फागी तक क्षेत्राधिकार आता था लेकिन इनको पृथक उपखण्ड का दर्जा देने के बाद सांभर की प्रशासनिक सीमायें भी कम हो गयी, जो सौगात सबसे पहले सांभर की झोली में आनी चाहिये थी उसके हक को दरकिनार कर इसके वजूद को कम करने से यहां के क्षेत्रवासियों की भावनायें आहत है। सांभर बार एसोसिएशन की ही प्रबल मांग को ध्यान में रखते हुये वर्ष 1982 में सरकार ने सांभर में एडीएम का कैम्प कोर्ट लगाने के आदेश प्रसारित किये थे, दो तीन साल बाद बिना किसी आदेश के कैम्प कोर्ट लगना बंद हो गया, जिसकी वजह से तहसीसलदार व उपखण्ड अधिकारी न्यायालय से पारित होने वाले राजस्व सम्बन्धी मुकदमों की अपील करने के लिये क्षेत्र के सैंकडों पक्षकारों को जयपुर कलक्ट्रेट स्थित एडीएम कोर्ट में जाना पड़ता है, जिससे पक्षकारों व वकीलों के लिये भारी पड़ रहा है।

बताया जा रहा है कि सांभर से जयपुर अपील की तारीख होने के दौरान बार बार आने जाने से वकीलों को सांभर में चल रहे अन्य मुकदमों की पैरवी के लिये आगामी तारीख लेनी पड़ती है और जयपुर सुनवायी के लिये जाने से न तो पक्षकारों को समय पर न्याय मिल पा रहा है और न ही प्रभावी तरीके से अपीलों की सुनवायी का पर्याप्त समय में ही मिल पाता है। बताया जा रहा है कि इससे न्याय का हनन होता है और पक्षकार मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान होते रहते है। सरकार की ओर से दूदू को एडीएम कोर्ट की सौगात देने के बाद सांभर उपखण्ड के अधीन न्यायिक क्षेत्राधिकार की सुनवायी दूदू में किये जाने के आदेश से खफा होकर बार एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ता दीपेन्द्र सिंह शेखावत, सुरेश कुमार शर्मा, शेख शमीमुलहक, वीरेन्द्र सिंह शेखावत, लक्ष्मणसिंह खंगारोत, कोषाध्यक्ष लालचन्द कुमावत, दिव्यराज वीर गुर्जर, तेजपाल प्रजापत व शिष्टमण्डल में शामिल अन्य पदाधिकारियों ने तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात कर समस्या को उजागर किया तब कहीं जाकर दूदू से न्यायिक क्षेत्राधिकार हटाकर वापस सांभर तो कर दिया गया लेकिन सांभर में पृथक से एडीएम कोर्ट स्वीकृत किये जाने के लिये साफ इंकार कर दिया।

जानकारी में आया है कि बार एसोसिएशन की ओर से सत्ता पक्ष से जुड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व वर्तमान विधायक विद्याधर सिंह चौधरी ने भी राजस्व मंत्री चौधरी से अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। खास बात यह भी है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट को भी बार एसोसिएशन की तरफ से उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हों भी इस आशय का ज्ञापन सौंपा गया था, कांग्रेस की सरकार ही चली गयी लेकिन यहां से भी परिणाम शिफर ही रहा। इस मामले में अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा व उपाध्यक्ष दिव्यराज वीर गुर्जर का कहना है कि बार एसोसिएशन की सबसे पुरानी मांग को स्वीकार नहीं करने से क्षेत्रवासिसों को प्रशासनिक व न्यायिक कार्य में त्वरित जो लाभ मिलना चाहिये था, वह नहीं मिल रहा है। पॉलिटिकल प्रेशर सांभर के हित के लिये पूरी तरह से शून्य है। हमारी मांग आज भी जारी है, लेकिन सरकार की मेहरबानी का इंतजार बना हुआ है।

चंबल नदी का पानी जलकुम्भी से अटा, जलीय जीवों पर संकट

नदी किनारे रहने वाले लोगों व जीवों के लिए परेशानी का सबब बन गई है जलकुम्भी

राजस्थान में बहने वाली चंबल के लगभग पूरे क्षेत्र में पानी के बहाव के साथ फैलती जा रही है जलकुम्भी

बून्दी, (निसं)। रामगढ़–विषधारी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में बहने वाली सदानीरा चंबल नदी का पानी इन दिनों जलकुम्भी से अट गया है। बहते पानी के साथ यह विदेशी अवांछित जल वनस्पति जलीय जीवों के साथ–साथ नदी किनारे रहने वाले लोगों व जीवों के लिए भी परेशानी का सबब बन गई है।

चंबल की डाउन स्ट्रीम से इसकी शुरूआत होकर राजस्थान में बहने वाले चंबल के लगभग पूरे क्षेत्र में पानी के बहाव के साथ फैलती जा रही है। कोटा महानगर सहित अन्य गांव–कस्बों से नदी में मिलने वाले गंदे नाले इस वनस्पति के पोषक बन रहे हैं। जल गोभी, नील गोभी, उष्ण कटिबंधीय बत्तख, जल सलाद और जलकुंभी आदि नामों से पहचानी जाने वाली इस वनस्पति के कारण पानी में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती तथा पानी का ऑक्सीजन स्तर कम हो जाता है जिससे जलीय जीवों और मछलियों का दम घुटता है तथा कई बार उनकी मौत भी हो जाती है।

बूंदी जिले के प्राकृतिक

जामुनियां द्वीप पर छाई जलकुम्भी परेशानी का सबब बन गई है।

जामुनियां द्वीप पर छाई वनस्पति से यहां रहने वाले मगरमच्छ भी हरे रंग में रंगे नजर आने लगे हैं। आसपास के ग्रामीणों ने नदी में स्नान करना बंद कर दिया है क्योंकि जलकुंभी के बीच नहाने से खुजली चलने लगती है।

नदी में जलीय पक्षियों के स्वच्छंद विचरण व जलक्रीड़ा पर भी इस वनस्पति ने ग्रहण लगा दिया है। वन्यजीव संरक्षणकर्ताओं ने स्वच्छ बहते जल वाली चंबल नदी में जलकुंभी के बढ़ते प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है।

पर्यावरणविद् नरेंद्र पाटिल ने चंबल में बढ़ती अवांछित वनस्पति को नदियों के स्वरूप पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताते हुए इसके समाधान की कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता बताई। घड़ियाल संरक्षण से जुड़े हरिराम मीणा ने बताया कि इससे घड़ियालों के साथ कछुओं व अन्य जलीय जीव भी प्रभावित हो रहे हैं।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 13 फरवरी, 2024

माघ मास, शुक्ल पक्ष, चतुरथी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2080, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दिन 12:25 तक, साध्य योग रात्रि 11:04 तक, विष्टि करण दिन 2:42 तक, चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–मकर, चन्द्रमा–मीन, मंगल–मकर, बुध–मकर, गुरू–मेष, शुक्र–मकर, शनि–कुम्भ, राहु–मीन, केतु–कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से दिन 12:35 तक है। रवियोग दिन 12:35 तक बना रहेगा। आज भद्रा दिन 2:42 तक है। आज सूर्य कुम्भ में प्रवेश दिन 3:44 से प्रवेश करेगा। पूण्य काल प्रातः 9:20 से आरम्भ होगा। आज अंगारक विनायत चतुरथी, पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:55 से 11:18 तक, लाभ–अमृत 11:18 से 2:04 तक, शुभ 3:27 से 4:50 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 7:09, सूर्यास्त 6:13

मेष

घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

वृष

आर्थिक/वित्तिय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता से बनने लगेंगे।

कर्क

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ कार्य के लिए बाहर जा सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कन्या

परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला

स्वास्थ्य में सुधार होगा। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक

परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच–विचार हो सकता है। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

घर–परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

मकर

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। घर–परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।